(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
एस0एस0अली
सदस्य

प्रकरण कमांक : 993–दो/2017 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 3–2–2017 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर – प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील

1– अरबिन्द 2– गोविन्द पुत्रगण स्व. बाबूलाल
3– श्रीमती गुल्लावाई पत्नि स्व. बाबूलाल
निवासी रेहटी तहसील रेहटी जिला सीहोर
4– श्रीमती सुशीलावाई पत्नि नाथूराम मालवीय
निवासी इटारसी जिला होंसगावाद
5– श्रीमती शकुन्तला पत्नि महेश राय
निवासी पालदा इंदौर जिला इंदौर ———आवेदकगण

विरूद्व

जगदीश प्रसाद बल्द स्व. बाबूलाल निवासी रहटी
तहसील रेहटी जिला जिला सीहौर मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती सरोज नामदेव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्रीमती सीमा मालवीय शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 10–01 –2018 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–2–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सार यह है कि आवेदक ने तहसीलदार रेहटी व्दारा ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 18–12–2014 से किये गये बटवारे के विरूद्व

अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने के लिये अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी बुदनी ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों को सुनकर प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 3–2–2017 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ लेखी बहस के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार रेहटी व्दारा ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 18–12–2014 से किये गये बटवारा आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के समक्ष दिनॉक 7–4–15 को अर्थात 105 दिवस वाद अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में इस हेतु मात्र 30 दिवस की अवधि निर्धारित है। इस प्रकार 105–30= 75 दिवस विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है। अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये तथ्यों पर निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है –

" मेरे व्दारा सॅशोधित पॅजी का अवलोकन किया गया। सॅशोधन पॅजी व संलग्न इस्तहार पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, न ही सूचना पत्र व्यक्तिगत रूप से तामील होना पाया गया है। अपीलार्थी को बटवारा तिथि पर उक्त बटवारे की जानकारी नहीं थी व जानकारी तिथी 31–3–15 से समयावधि में अपील प्रस्तुत किये जाने से प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से आवेदन अंतर्गत धारा 05 अवधि विधान स्वीकार किया जाता है। "

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अनावेदक खातेदार स्वर्गीय बाबूलाल का पुत्र है एंव पैत्रिक संपत्ति का बटवारा उसके अभिज्ञान के बिना किया गया था , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बुदनी ने वैविकक मस्तिस्क का उपयोग कर विलम्ब क्षमा करने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में बताया गया है कि यदि विलम्ब के कारण संतोषजनक हों एंव विलम्ब माफी योग्य हो, विलम्ब माफ किया जाना चाहिये।

लंगरी वाई विरूद्व छोटा 1992 रा.नि. 289 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब के लिये माफी पक्षकार का अधिकार नहीं है किन्तु न्यायालय को इस वैवेकिक अधिकारिता के प्रयोग के लिये पर्याप्त कारण का सबूत पुरोभाव्य शर्त है। मांगीलाल विरूद्व केशरवाई 1998 रा0नि0 389 में बताया गया है कि उदघोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जाना चाहिये।

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी बुदनी ने अंतरिम आदेश दिनांक 3–2–17 में पूर्ण विवेचना उपरांत मात्र 75 दिवस के विलम्ब को क्षमा किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–2–2017 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–2–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर